

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला धितौडगढ़ (राज.)
दिनांक 15/05/25

अनवार

लाडू आल विला भीमा, उल्गाई जॉरी

निगसी कुलाडिया नई ल बेई

वकील/विपक्षीगण

नाजेरा विला रामचंद्र जाट जॉरी

सिखरी कुलाडिया नई ल बेई

वकील/विपक्षीगण

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एत.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढी करने:

न्यायालय में अधिवक्ता श्री K.C. मजरी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एत.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जॉर वज किंचा जाकर प्रकरण में जॉर किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीगत का उत्तेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी नौजा कुलाडिया नई ल बेई पटवार हत्क कुलाडिया नई ल बेई की आराजी संख्या 544/1 कुल कीता-01 कुल रकबा 1.6200 है।

कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी नौजा कुलाडिया नई ल बेई

पटवार हत्क कुलाडिया नई ल बेई की आराजी संख्या 544/1 कुल कीता-01

कुल रकबा 1.6200 है। भूमि की पत्थरगढी हेतू सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 2500/- प्राप्त करते हुए नौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र
कीता (2)

उपखण्ड अधिकारी, बेगू
जिला धितौडगढ़ (राज.)

क्रमांक/संरस्ता/2025/ 285

प्रार्थना पत्र संख्या 65/25 व अनवार लाडू आल विला भीमा प्रार्थना पत्र अध्या 128 एत.आर.एक्ट न न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको दास्ते पालनाथ दी जाती है।

दिनांक - 14.5.25
उपखण्ड अधिकारी, बेगू
जिला धितौडगढ़ (राज.)